

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 123/2023

अनवान : –

1. मुर्ति देवी पुत्री जीताराम जाति बिश्नोई साकिन शेरका तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी जड़वाला तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।

– सायल

बनाम्

1. देशराज पुत्र जीताराम जाति बिश्नोई साकिन शेरका तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. आत्माराम पुत्र गोपीराम जाति सुनार निवासी जैतपुर तहसील लुणकरनसर जिला बीकानेर।
3. कृष्णा पत्नी रेवन्ताराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. तिलोकाराम पुत्र रतीराम जाति जाट साकिन कानसर तहसील नोहर।
5. दीनदयाल पुत्र सन्तलाल जाति महाजन निवासी रावतसर तहसील रावतसर।
6. पतराम पुत्र लाधुराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
7. प्यारेलाल पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी कुन्जी तहसील भादरा।
8. प्रेम प्रकाश पुत्र दानाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कानसर तहसील नोहर।
9. फुलाराम पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
10. रेशमी पत्नी धर्मराज जाति जाट साकिन कानसर तहसील नोहर।
11. रामकुमार पुत्र पूर्णाराम जाति जाट साकिन कानसर तहसील नोहर।
12. रामकला पत्नी रामूराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
13. रामनिवास पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कानसर तहसील नोहर।
14. रोहिताश पुत्र दानाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कानसर तहसील नोहर।
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
16. उप पंजीयक कार्यालय उप तहसील खुईया तहसील नोहर।
17. बंशीलाल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट सा0 कानसर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

**प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.**

- उपस्थिति :- 1. श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता सायल
2. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय

दिनांक: 11/03/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 325/317 की कुल 21.5220 हैक्ट भूमि सायल व गैरसायल स0 1 ता 14 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी भूमि का खाता व लगान मुश्तरका दर्ज है। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण प्रार्थी व अप्रार्थीगण को सीव डोल को लेकर तानाजात एवं अप्रार्थीगण



**अपखण्ड अधिकारी
नोहर**

का नाम संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि पर अजनबी क्रेतागण को काबिज कराने पर आमादा है। अगर गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो अपूर्णाय क्षति प्रार्थी को होगी अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त वाद भूमि का जब तक खाता व विभाजन न हो तब तक वाद भूमि को रहन, बैय न करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 325/317 की कुल 21.5220 हैक्ट भूमि की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के विशेष ख0न0 को रहन, बैय व मुन्तकिल न करें।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 3, 8, 11 ता 14 व 17 की जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 17 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की अप्रार्थी स0 17 द्वारा गैरसायल स0 1 से 0.6216 हैक्ट भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा समस्त प्रतिफल देकर खरीद की गई है एवं उत्तरदाता अपने खरीद शुदा भूमि पर काबिज है। उक्त स्थगन के कारण उत्तरदाता के नाम खरीद शुदा भूमि का नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ है अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो हम हमारे काश्तकारी हकूको से वंचित हो जायेगे केसीसी आदि नहीं ले सकेंगे हमें अपूर्णाय क्षति होगी तथा भारी नुकसान होगा इसलिए प्रार्थना पत्र सायल खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त वाद भूमि में से प्रार्थी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपनी मेहनत से समतल व उपजाऊ बना रखा है। प्रार्थी की अच्छी किस्म की कृषि भूमि होने के कारण गैरसायलान अजनबी क्रेता को सायल की कृषि भूमि दिखाकर रहन/बैय करने पर उतारू है तथा सायल के हक हिस्सा की भूमि पर काबिज होना चाहते है जिसके कारण सायल को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए गैरसायलान के खिलाफ रहन, बैय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के आदेश फरमावे।


अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया की वाद खाता विभाजन का है। वाद भूमि बाबत सीव डोल को लेकर कोई विवाद नहीं है अप्रार्थी संख्या 17 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की अप्रार्थी स0 17 द्वारा गैरसायल स0 1 से 0.6216 हैक्ट भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा समस्त प्रतिफल देकर खरीद की गई है एवं उत्तरदाता अपने खरीद शुदा भूमि पर काबिज है। उक्त स्थगन के कारण उत्तरदाता के नाम खरीद शुदा भूमि का नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ है अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो हम हमारे काश्तकारी हकूको से वंचित हो जायेगे केसीसी आदि नहीं ले सकेंगे हमें अपूर्णाय क्षति होगी तथा भारी नुकसान होगा इसलिए प्रार्थना पत्र सायल खारिज फरमावे। अतः उक्त बिन्दुओं के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन

करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावों के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन किसके पक्ष में है तथा अपूर्ण्य क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 325/317 की कुल 21.5220 हैक्ट भूमि सायल व गैरसायल स0 1 ता 14 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुत्तकिल किया जा रहा है। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है अप्रार्थी सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे हैं न कि किसी विशेष भू भाग/ख0न0 को रहन व बैय कर रहे हैं अप्रार्थी स0 17 द्वारा उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा समस्त प्रतिफल देकर अप्रार्थी स0 1 से खरीद की गई है। अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्ण्य क्षति नहीं होगी क्योंकि अप्रार्थी द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के हिस्से को अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्ण्य क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्ण्य क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होते हैं बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नहीं होने से दिनांक 05.06.2023 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक...11/03/2025...मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर